बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक–रा0खा0सु0मि0को0–04 / 2017– 3533 /कृ0, पटना दिनांक 28-06-, 2018

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

#द्वारा – वित्त विभाग।

विषय – **राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2018–19 में कुल 936.636 लाख रूपये (नौ करोड़ छत्तीस लाख तिरसठ हजार छः सौ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

निर्देशानुसार राज्य योजना अंतर्गत धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना हेतु वर्ष 2018–19 में कुल 936.636 लाख रूपये (नौ करोड़ छत्तीस लाख तिरसठ हजार छः सौ रूपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि रोडमैप के अधीन राज्य में खरीफ मौसम में धान की सामुदायिक नर्सरी तैयार किया जायेगा। नर्सरी में तैयार बिचड़ों को इच्छुक एवं जरूरतमंद कृषकों के बीच शत प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जायेगा। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास की योजना, वर्ष 2018–19 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है,

क्र0 सं0	फसल	भौतिक लक्ष्य(एकड़ में)		वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)			कुल वित्तीय (लाख रूपये में)
		नर्सरी (बिचड़ा)	रोपनी से आच्छादन	नर्सरी विकास	बिचड़ा क्रय/ वितरण	आकस्मिकता व्यय (लाख रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धान	5340.00	53400.00	391.956	534.00	10.68	936.636

3. यह योजना वर्ष 2018–19 के खरीफ मौसम में कार्यान्वित किया जायेगा। उक्त योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य हेतु अनुसूची–1 संलग्न है। धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना अंतर्गत बिचड़ा प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र के लिए अनुसूची–2 संलग्न है। धान बिचड़ा उत्पादक द्वारा बिचड़ा वितरण पंजी संधारण हेतु प्रपत्र अनुसूची–3 संलग्न है।
4. योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी होगें। जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संबंधित मद की राशि की निकासीं विपत्र के आधार पर की जायेगी। जिलावार/वर्गवार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की सूची अनुसूची–4 के रूप में संलग्न है।
5. धान की सामुदायिक नर्सरी पाँच–पाँच एकड़ के कलस्टर में कुल 5340 एकड़ में जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कृषकों के खेत में विकसित किया जाएगा (जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 पर अनुलग्न)।

6. नर्सरी विकास हेतु उपादान मद में पूर्व वर्ष 2017–18 की भाँति ही 7340.00 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि व्यय किया जाएगा तथा उपादान मॉडल निम्न प्रकार होगा :

क्र0 सं0	उपादान का नाम	मात्रा	अधिकतम अनुदान सहायता (रू0 में)
1	प्रमाणित धान बीज	120 कि0ग्रा0	3840.00
2	कम्पोस्ट	2.5 क्विंटल	1500.00
3	बीज उपचार/पौधा संरक्षण रसायन	आवश्यकतानुसार	500.00
4	सिंचाई	आवश्यकतानुसार	1500.00
	कुल योग		**7340.00**

7. बिचड़ा वितरण मद में कृषकों द्वारा बिचड़ा क्रय के विरूद्ध प्रति एकड़ 10,000.00 (दस हजार रूपये) अर्थात एक एकड़ रोपनी हेतु बिचड़ा क्रय के विरूद्ध 1,000.00 (एक हजार रूपये) प्रति एकड़ के दर से राशि व्यय किया जाएगा।
8. नर्सरी विकास मद की अनुमान्य राशि संबंधित बिचड़ा उत्पादक कृषक को उपादान क्रय से संबंधित अभिलेख/अभिश्रव/विपत्र के उपस्थापन तथा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा नर्सरी स्थल के सत्यापन के आधार पर RTGS/NEFT के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा देय होगा।
9. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास योजना के प्रचार–प्रसार स्थल प्रदर्शन, अभिलेख संधारण आदि हेतु दो सौ रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रति पाँच एकड़ के नर्सरी स्थल के लिए 1,000.00 (एक हजार रूपये) अनुमान्य होगा। योजना अंतर्गत कुल 1068 कलस्टर के लिए उक्त कार्य हेतु कुल 10.680 लाख (दस लाख अड़सठ हजार) रूपये आकस्मिकता मद में अनुमान्य होगा।
10. बिचड़ा क्रय के विरूद्ध राशि का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नर्सरी स्थल से सम्बद्ध किये गये प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी द्वारा बिचड़ा उपयोग के सत्यापन के आधार पर संबंधित कृषक/क्रेता के बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
11. एक कृषक को अधिकतम एक हेक्टेयर (2.5 एकड़) में धान रोपनी हेतु बिचड़ा उपलब्ध कराया जा सकेगा।
12. धान की सामुदायिक नर्सरी विकास कलस्टर में किया जाएगा तथा एक कलस्टर का न्यूनतम रकवा 5 (पाँच) एकड़ होगा।
13. नर्सरी स्थल के चयन में इच्छुक लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
14. नर्सरी उत्पादक को नर्सरी विकास एवं बिचड़ा वितरण से संबंधित किसानों का लेखा संधारण हेतु स्थल पंजी संधारित किया जायेगा तथा इसका पृष्ठ सत्यापन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
15. नर्सरी विकास हेतु स्थानीय परिस्थिति के आलोक में अल्प अवधि अथवा मध्यम अवधि के प्रभेदों का चयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परामर्शानुसार किया जाएगा तथा इससे संबंद्ध किये गये किसानों के पसंद एवं स्थान विशेष के लिये अधिक उपजशील लोकप्रिय प्रभेद को प्राथमिकता दी जाएगी। बीज एवं अन्य उपादान की उपलब्धता जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
16. नर्सरी ऊँचे स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधायुक्त होगा ताकि नर्सरी स्थल बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा अथवा सुखाड़ से प्रभावित नहीं हो।
17. नर्सरी तैयारी से पूर्व इच्छुक कृषकों को लक्ष्यानुसार संबंद्ध किया जाएगा।
18. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये क्रमशः 16% एवं 1% राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
19. बाढ़ अथवा सुखाड़ के फलस्वरूप बिचड़ा क्षति से प्रभावित कृषकों को पहले आओ पहले पाओं के आधार पर सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाएगी।
20. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन एवं बटाई पर जोत करने वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
21. लक्ष्य शेष रहने पर लघु एवं सीमान्त कृषक को वरीयता दी जाएगी तथा अंत में शेष लक्ष्य मध्यम एवं बड़े कृषक से पूरा किया जा सकेगा।
22. योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी नर्सरी स्थल क्षेत्र से संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, प्रखंड़ कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार को संबंद्ध करेगें तथा दायित्व का निर्धारण करेंगे।